अध्याय-8 :
योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव

अध्याय-8 : योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव

जिले में विभिन्न ग्रामीण विकासात्मक योजनाओं का प्रभाव निर्धारित करने के लिए नमूना-जांच हेतु चयनित 42 में से 20 ग्राम पंचायतों को विभिन्न पैरामीटरों पर उनके संतुष्टि स्तर के सम्बन्ध में प्रश्नावलियां जारी की गई थी। सभी 20 ग्राम पंचायतों से उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उनकी प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:-

क्रमांक	पैरामीटर	प्रतिक्रिया	प्रतिशतता
1.	गांवों, गांवों को खण्ड मुख्यालयों व जिला शहर से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति	खराब	30
		मरम्मत अपेक्षित	70
2.	गांवों, गांवों तथा खण्ड मुख्यालयों व जिला शहर के बीच नियमित बस सेवाएं	पर्याप्त	35
		अपर्याप्त	45
		उपलब्ध नहीं	20
3.	पेयजल आपूर्ति	उपलब्ध	30
		अंशत: उपलब्ध	70
4.	विद्युत आपूर्ति	12-24 घण्टे	30
		10-12 घण्टे	45
		0-10 घण्टे	25
5.	गांव में बैंक शाखा	उपलब्ध	35
		उपलब्ध नहीं	65
6.	रसोई गैस की उपलब्धता	नियमित	30
		अनियमित	70
7.	चिकित्सा सुविधाएं	उपलब्ध	65
		उपलब्ध नहीं	35
8.	शिक्षा सुविधाएं (कक्षा-VIII तक)	उपलब्ध	100

सड़क स्थिति, बस सेवाओं, पेयजल आपूर्ति व रसोई गैस की उपलब्धता तथा बैंक सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में प्रतिक्रियाएं लोगों के निम्न संतुष्टि स्तर को दर्शाती हैं।

सिफारिश

- *जिला प्राधिकारी दक्षतापूर्वक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ठोस तथा सुनिश्चित प्रयास करे ताकि जिले में ग्रामीण लोगों के स्तर को सुधारा जा सके।*

निष्कर्ष

यह अवलोकित किया गया कि कार्यक्रमों तथा स्कीमों की अधिकता है तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या भी अधिक है जिससे जिला प्रशासन के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों का प्रभावशाली अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना कठिन होता है। जबकि लगभग सभी विकासात्मक कार्यक्रम एक ही समूह के लाभार्थियों पर लक्षित हैं, एकीकृत केन्द्र बिन्दु के बिना असंख्य कार्यक्रमों की विद्यमानता को उनमें से प्रत्येक को एकमात्र ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि प्रदान करने में भारत सरकार द्वारा व्यापक रूप से स्थानीय स्तर पर विशेषतया पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। इसका अभिप्राय यह भी सुनिश्चित करना है कि स्थानीय सरकार जिला, खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निर्वहन में सक्षम है जो उन्हें सुपुर्द कि गए हैं। यह पाया गया कि योजना प्रक्रिया में इन स्तरों पर पर्याप्त भागीदारी की अनुपस्थिति जिले की योजनाबद्ध प्रगति तथा निम्न स्तर पर जरूरी आवश्यकताओं का निराकरण करने में विफलता रूकावट पैदा कर रही है। जबकि पंचायती राज संस्थान उनके क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने में सक्षम हैं, इन स्तरों से ढांचागत वार्षिक कार्य योजनाओं की कमी तथा क्षमता निर्माण के अभाव में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उनको प्रदान की गई निधियों को खर्च करने की उनकी असमर्थता में परिणत हुआ है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुरक्षा अवसंरचना में अंतरालो की पहचान के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति तथा कुशल मानव शक्ति की कमी के साथ जुड़ी अनुबद्ध सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण भी जिले के लोगों को प्राप्य एवं वहन योग्य स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति हुई है।

स्कीमों के निष्पादन के सम्बन्ध में यथा परिकल्पित पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र या तो स्थापित नहीं किया गया है अथवा कार्य नहीं कर रहा है। जबकि सेक्टर/ सेवा के एकीकृत विकास को उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक

योजनाएं सूत्रबद्ध की गई हैं, इन्हें अपेक्षित औपचारिकताओं जैसे वन भूमि हेतु अनुमति अथवा भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करने सहित अनुपालना न किये जाने के साथ-साथ मानव शक्ति की कमी के कारण समयबद्ध ढंग से निष्पादित नहीं किया जा सका था।

अत: जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को वांछित गति से जिले के वास्तविक विकास को प्राप्त करने के लिए इन मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक